हर परिसर हरा परिसर योजना

- ***योजना का उद्देश्य.***

इस योजना का मुख्य उद्देश्य हरियाली को बढ़ाना,पर्यावरण का शुद्धिकरण एवं शहर का सौन्दर्यीकरण करना।

- **योजना में शामिल होने की पात्रता**

इस योजना में राज्य के सभी जिलों के विभिन्न प्रकार के प्ररिसर यथा—स्कूलों, कॉलेजों, धार्मिक संस्थानों, कार्यालयों, क्लबो, समितियों एवं अन्य सरकारी एवं गैर सरकारी परिसरों को शामिल किया गया है। सभी सरकारी एवं निजी परिसर एवं संस्थाओं के पास पौधे लगाने के लिये उपयुक्त भूमि होनी चाहिये। एक संस्था/परिसर को न्यूनतम 50 एवं अधिकतम 1000 पौधा निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। वितरित / रोपित किये गये पौधों पर चयनित संस्थाओं का ही सम्पूर्ण अधिकार होता है।

- ***योजना में दिये जाने वाले लाभ***

सरकारी संस्थानों में वनरोपण हेतु अग्रिम एवं समापन का कार्य वन विभाग द्वारा किया जाता है तथा रख—रखाव का कार्य संबंधित संस्थान द्वारा किया जाता है। निजी संस्थाओ को पौधा उनकी पसंद के अनुसार, यथासंभव वन विभाग द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है तथा वनरोपण, रख—रखाव एवं सुरक्षा का कार्य संबंधित संस्थान द्वारा किया जाना है।

वृक्षों से प्राप्त होने वाले फल, सूखा जलावन, चारा, फूल इत्यादि उत्पादों पर संस्था का अधिकार है।

आवेदन कैसे करें –

हर परिसर हरा परिसर योजना में सम्मिलित होने के लिए निर्धारित प्रपत्र में वन प्रमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन किया जा सकता है अथवा विभागीय वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। हर परिसर हरा परिसर योजना में सम्मिलित होने के लिए आवेदन पत्र या ऑनलाइन आवेदन माह सितम्बर तक किया जायेगा।

Online Apply

Click Here
http://forestonline.bih.nic.in/onlineapply/registrationform.aspx